चौरी–चौरा काण्ड एवं गॉधीजी

डा0 बिन्दु

एसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
हि0क0म0, सीतापुर।

"ऐसा व्यक्ति जिसे इन्द्रीय सुख की चाह नही है उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं है। लेकिन जो वह सही मानते है उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी रहते हैं। वह एक खतरनाक व कष्टप्रद शत्रु हैं चूंकि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, परन्तु उनकी आत्मा व आत्मबल को नहीं।"

गिलबर्ट मूर

मोहनदास करम चंद गॉधी (1969–1948) महात्मा गॉधी के नाम से मशहूर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के एक प्रमुख राजनैतिक नेता थे। सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिधांतो पर चलकर उन्होंने भारत को आजादी दिलानें में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया था। उनके इन सिधांतों ने पूरी दुनिया में लोगों का नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आन्दोलन से प्रेरित किया। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में गॉधीजी का प्रवेश गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से 1915 से माना जाता है। सन् 1915 में भारत वापस आने से पूर्व वह दक्षिण अफ्रीका में एक प्रवासी वकील के रूप में भारतीय समूदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे।

गॉधीजी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। वे गोखले को अपना राजनैतिक गुरू मानते थे। अतः प्रारम्भ से ही गॉधीजी गोखले के अनुयायी एवं राजभक्त माने जाते थे। सरकार के साथ सहयोग की नीति में उनका दृढ़ विश्वास था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गॉधीजी ने युद्ध प्रयासों में अंग्रेजों की पूर्ण सहायता की और इसके लिए अंग्रजी सरकार से उन्हें केसरे–ए–हिन्द की उपाधि भी प्राप्त हुई। परन्तु भारत की सक्रिय राजनीति में गॉधीजी का प्रवेश 1918 के पश्चात हुआ। 1919 में रोलैट एक्ट के प्रश्न को लेकर हुआ।

गरीबी, बिमारी, नौकरशाही के दमनचक्र, अध्याधेश राज और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती करने में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता अंग्रेजी शासन से अत्यधिक असंतुष्ट हो गयी थी। अब उग्र विचारों एवं क्रान्तिकारियों का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। सरकार को भी इसका भनक थी। साथ ही डर था कि यदि क्रान्तिकारियों की शक्ति को समय रहते कुचला न गया तो भारत में अंग्रजी राज्य के लिए घातक खतरे सिद्ध हो सकते हैं। युद्ध के दौरान 1917 में ही जस्टिस रोलैट के सभापत्तिव में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्य भारत में क्रान्तिकारियो षडयंत्रों की जॉच करना तथा उनका दमन करने के लिए आवश्यक कानून बनाने के सुझाव देना था। इन समिति के सुझावों के आधार पर दो विधेयक विधान परिषद के समक्ष रखे गये। इनमें से एक रोलैट एक्ट जिसे 17 मार्च 1919 में विधेयक के द्वारा देश में अतिरिक्त शांति बनाये रखने के बहाने अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे गिरफतार कर सकती थी बिना किसी मुकदमें, इस प्रकार यह अधिनियम

जनता की समान स्वतंत्रताओं पर कुठाराधात था। यह अंग्रेजों की बर्बरता एवं स्वंछाचारता का स्पष्ट प्रमाण था। रोलेट विधयकों के विधान परिषद में पेश होते ही सारे देश में विरोध की एक लहर दौड़ गयी थी तथा सभी जगह प्रदर्शन प्रारम्भ हो गये थे। इसे काला कानून कहकर देश के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया ।

सरकार की दमनकारी नीतियों ने गॉधीजी को राजभक्त से विद्राही बना दिया। गॉधीजी ने रोलैट एक्ट के विरोध में जनता से 06 अप्रैल 1919 को देशभर में हड़ताल करने की अपील की। हिंसा की छुट–पुट घटनाओं का सहारा ले गॉधीजी का प्रवेश दिल्ली व पंजाब में निषिद्ध कर दिया गया। गॉधीजी ने सरकारी आज्ञा की अवहेलना करते हुये 09 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयत्न किया परन्तु उन्हे गिरफतार कर लिया गया। गाँधी की गिरफ्तारी से देश भर मे आक्रोश फैल गया। जिसके कारण गाँधी जी को बम्बई लाकर छोड दिया गया। परन्तु आग भडक चुकी थी तथा उधर दमन चक्र भी तीव्र हो चुका था।

पंजाब के लोकप्रिय नेताओ – डा0 किचलू और डा0 सत्यपाल के गिरफतारी का विरोध करने लिए 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाकर कुछ निहत्थे लोगो को मार डाला गया। इस गोलीकांड तथा नेताओ की गिरफतारी के विरोध मे जालियाँवाला बाग मे शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। सभा का मैदान चारो ओर से उँचे दिवारो से घिरा हुआ था और दो चार फीट के दरवाजे के अतिरिक्त मैदान मे आने जाने के लिए एक 7.5 फीट चौडा सकरा सा रास्ता था। जब सभा चल रही थी तभी सेना के कमाण्डर जनरल डायर ने भीड पर गोली चलाना आरम्भ करा दिया। तथा पूरा बारूद खत्म होने पर ही गोली बारी बन्द हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस घटना मे 379 व्यक्ति मारे गए। 1200 घायल हुए परन्तु वास्तव मे यह संख्या बहुत अधिक थी। इस घटना की जाँच के लिए अंग्रेजी सरकार ने हटंर समिति का गठन किया जिसने मात्र लिपापोती के कुछ नही किया। जनरल डायर के कार्य को समय के अनुसार तर्कसंगत माना गया तथा उसे 200 पाउण्ड की राशि तथा सम्मानार्थ एक तलवार भेट की गई।

भीषण जलियाँवाला कांड के बाद भी गांधी जी ने सहयोग का रास्ता अपनाए रखने का प्रयास किया। उनके प्रयत्नो से ही दिसम्बर 1919 के काग्रेस अधिवेशन में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया गया जिसके फलस्वरुप 1919 के सवैधानिक सुधारो को अनुपयुक्त असंतोषप्रद और निराशा जनक मानते हुए शीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से इन सुधारो को क्रियान्वित करने के लिए काग्रेस तैयार हो गयी साथ ही जलियावाला काण्ड की जॉच के लिए एक अलग समिति बनाइ गयी। समिति के अध्यक्ष प0 मदन मोहन मालवीय थे तथा सदस्यो मे पण्डित मोती लाल नेहरू तथा गांधी जी भी थे। समिति के अनुसार हंटर समिति ने अपने अफसरो को बचाने की कोशिश की तथा जनमत को धोखा दिया था। इस समिति ने दोषी अफसरो को दण्डित करने तथा मारे गए भारतीयो को प्रतिकर देने की मॉग सरकार से की परन्तु सरकार ने भारतीय समिति की मॉगो को अस्वीकार कर दिया।

सरकार के रवैये की बडी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीय आन्दोलन का सारा रुख और रुप बदल गया । अब गॉधी जी का भी अग्रेजो की न्याय प्रियता पर से विश्वास उठ गया। अब वे सहयोग से असहयोग की ओर बढ गये। इस समय काग्रेस का एक विशेष अधिवेषन कलकत्ता में सितम्बर 1920 को लाला लाजपत राय कि अध्यक्षता में बुलाया गया इसमें काग्रेस ने विदेशी शासन के विरुद्व सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदो का बहिष्कार करने तथा असहयोग और

सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ करने की बात तय की। एक प्रस्ताव द्वारा पंजाब में मार्षल ला प्रशासन के अत्याचारों की भर्त्सना की गई और कहा गया की भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार दोनो ही बेगुनाह और असहाय लोगो की रक्षा करने में तथा असभ्य एवं पाशविक व्यवहार करने वाले अफसरो को सजा देने में नितांत असमर्थ सिद्व हुई हैं। राण्ट्रीय सम्मान की रक्षा एवं जलिया वाला काण्ड जैसी घटनाओं को रोकने का एकमात्र रास्ता स्वराज स्थापना ही है। भारत वासियों के लिए इसके सिवा अन्य कोई रास्ता नही बचा है कि वे विदेशी शासको के प्रति गॉधी जी द्वारा प्रारंभ की गई अहिंसात्मक असहयोग के नीति का अधिकाधिक सहारा ले।

काग्रेंस के नागपुर अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधि प्रस्ताव में कहा गया था कि (1) सरकारी उपाधियो और अवैतनिक पदो का त्याग कर दिया जाय। (2) स्थानीय संथानो के मनोनित सदस्य अपने स्थानो से त्याग पत्र दे दें। (3) सरकारी उत्सवो, दरबारो तथा सरकारी अफसरो द्वारा अथवा उनके सम्मान में किये गये उत्सवों में शामिल न हुआ जाये, धीरे धीरे सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अथवा सरकार के अधीन स्कूलों और कालेजो का बहिष्कार किया जाये। (6) सैनिक, क्लर्क और मजदुर वर्गो के लोग मैसोपोटामिया में काम करने के लिए अपनी सेवाएँ देने से इन्कार कर दें। (7) विधान सभा चुनावो का बहिष्कार। (8) विदेशी माल और शराब का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रसार अस्पृष्यत का अंत किया जाये। (9) हिन्दु मुस्लिम एकता को बढावा देना।

असहयोग आन्दोलन के साथ ही भारतीय राजनीति में सन् 1920 से एक नए युग का आरम्भ हुआ जिसे गॉधी युग की संज्ञा दी जाती हैं। और राष्टीय आन्दोलन में एक नयी विचारधारा जन्मी जिसमें अंग्रेजों से सुधारों की भीख मॉगने के बजाय विदेशी सरकार के विरूद्ध खुल्लम–खुल्ला सीधी कार्यवाही करने के संकल्प की घोषणा निहित थी। असयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला जन आन्दोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रान्तिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वभाव व स्वरूप में एक मूलभूत परिवर्तन कर दिया। कांग्रेस अब लोकप्रिय विदेशी शासन के विरूद अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। गिने चुने बुद्धिजीवियों का सम्मेलन ना रह कर अब वह आम जनता का आन्दोलन बन गयी।

गान्धी जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन जोरो से चला। इस आन्दोलन में हिन्दू मुस्लमान दोनों प्रमुख जातियों ने कन्धा मिलाकर साथ भाग लिया। खिलाफत कमेटी के मुकाबले में मुस्लिम लोग प्रायः खत्म सी हो गयी। बड़ी संख्या में मुस्लमान कांग्रेस में भर्ती हो गये। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, विहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कुल कालेजो से पढ़ाई छोड़ दी तथा वे भी राष्ट्रिय आन्दोलन में कुद गये। इन्ही में थे पंडित मोती लाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार बल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, डा0 राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोग। आन्दोलन के मुस्लिम नेताओं में प्रमुख थे अली बन्धु, मौलाना मो0 अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा0 अन्सारी आदि। स्वदेशी चीजों का चरखे का और विशेषकर हाथ के कटे–बुने कपड़े अथवा खद्दर का प्रचार बढा। जगह–जगह विदेशी कपड़ो की होली जलाई गयी। शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर काग्रेस के स्वयं सेवकों ने देश भर में धरने दिये। गान्धी जी ने अपना केसरे हिन्द का खिताब वापस कर दिया और उनकी देखा देखी और भी सैकड़ों लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मिलने वाले खिताब वापर कर दिये। जैसे–जैसे इस बहुमुखी आन्दोलन ने तेजी पकड़ी और स्थिति सरकार के बूते से बाहर होने लगी वैसे ही सरकार ने आन्दोलन को कठोरता व

पूरी सक्ती से कुचल डालने का निश्चय किया। दूसरा चक्र पूरी क्रूरता व तेजी के साथ चल पड़ा। जगह–जगह शांतिपूर्ण स्वंय सेवकों और सत्याग्राहियों की मार–धाड़ और गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी।

जब प्रिंस आफ वेल्स के शीघ्र ही भारत यात्रा पर आने का समाचार मिला तो कांग्रेस ने सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये उनको बहिष्कार करने का निश्चय किया। इससे सरकार और भी चिढ़ गई। प्रिंस आफ वेल्स जब 17 नवम्बर 1921 को बम्बई पहुचे तो उन्हे बम्बई की सड़के और बाजार उजड़े हुये मिले। पूरे नगर में हडताल थी। कुछ छोटी–मोटी हिंसा की घटनाएँ भी हो गई। जिसमें सरकार व सत्या ग्रहियों दोनों ओर से ही बल का प्रयोग किया गया। अंत में जब सरकार दमन नीति से असहयोग आन्दोलन को दवाने में असफल रही तो उसने कांग्रेस व खिलाफत समिति दोनो को ही गैर–कानूनी घोषित कर दिया। परन्तु इससे भी आन्दोलन की गति धीमी न पडी। स्वयं सेवकों की नित लहर सामने आती गई तथा पुलिस की ओर से अंधाधुध लाठी चार्ज करने व गोली चलाने की घटनाएँ बढती गई। वर्ष का अंत होते–होते अली बन्धु, मोतिलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चितरंजन दास, मौलाना आजाद अदि सभी चोटी के नेता जेल में बंद किए जा चुके थे। कुल मिलाकर लगभग पचास हजार व्यक्ति गिरफ्तार हुए। केवल गॉधी जी पर हाथ डालने की हिम्मत सरकार की नहीं पडी।

दिसम्बर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आन्दोलन की गति को और भी तेज करने का निर्णय लिया गया तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किये जाने की अनुमती दे दी गई। इस विषय में आवश्यक कदम उठाने तथा पूरे आन्दोलन का संचालन करने का अधिकार गांधी जी को सौपे गए। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय रीडिंग को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी की यदि एक सप्ताह के भीतर दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया गया तो वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर देगे। हिंसा की बढती हुई घटनाओ से गांधी जी पहले ही चिंतित थे। अली बंधुओ ने सचमुच हिंसा को भडकाने वाले कुछ भाषण भी दिए थे। अगस्त 1921 में मलाबार में भेपलो ने हिंसा के भयंकर कृत्य किए थे और न केवल अंग्रजो को मारा था वरन हजारो स्वदेशवासियों की भी हत्या कर डाली थी। इसी बीच गांधी जी की घटित हो गई। 04 फरवरी 1922 को क्रोध से उतावली एक प्रदशनकारियों की भीड़ ने गोरखपुर के पुलिस थाने चौरी–चौरा में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना के कारण तीन नागरिको तथा 22 पुलिस वाले मारे गए। महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधी थे उन्हे इस घटना से अत्यंत मानसिक पीडा हुई ताथ परिणामस्वरूप उन्होने आन्दोलन को तुरंत ही स्थगित कर दिया। आन्दोलन इस समय बडी सफलता एवं गति के साथ चल रहा था, उसे देखते हुए कुछ कार्यकर्ताओं और प्रेक्षकों के विचार से गांधी का यह निर्णय उचित नहीं था। मुस्लिम नेताओ और मुस्लिम जनता ने गांधी जी की सत्य अहिंसा की नीति को कभी भी पुरी तरह से नहीं स्वीकारा था। अली बंन्धु, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नेहरू–पिता–पुत्र चितरंजन दास, लाला लाजपत राय आदी नेता भी गांधी के निर्णय से असंतुष्ट थे। परन्तु गांधी को स्पष्ट दिख रहा था कि जनता में अनुशासन की कमी हो रही थी, तथा सभी नेता जेल में थे। हिंसा की घटनाएँ चारों ओर बड रही थी और अगर आन्दोलन को रोका नहीं जाता तो शायद हिंसा बढती जाती और सरकार खून बहाने और आतंक के तरीकों से राज करने पर उतारू हो जाती। जो भी हो परन्तु इस प्रकार अचानक आन्दोलन बन्द करने से गान्धी जी लोकप्रियता को भारी धक्का लगा तथा लोग अब उनके नेतृत्व पर संदेह करने लगे।

गान्धी जी का विरोध विशेषकर क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किया। सन् 1922 की गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना व उनके साथियों ने राम विलास बिस्मिल के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर गान्धी जी का विराध किया। इस समय गान्धी के प्रति बढ़ती हुई असंतोष की भावना का लाभ उठाकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया। उनपर मुकदमा चलाया गया। उनपर मुकदमा अहमदाबाद में 18 मार्च 1922 को सेशन जज ब्रूम्शफील्ड की अदालत में शुरू हुआ। गान्धी जी ने अपने प्रभावशाली बयान में सरकार की पैशाचिक कृत्यों की भर्त्सना करते हुए कहा कि वे कृत किसी भी राजभक्त प्रजाजन को देश द्रोही बना सकते थे। अदालत के समने गान्धी जी का बयान और बाद में ब्रूम्शफील्ड द्वारा दिया गया निर्णय दोनों ही ऐतिहासिक और पठनीय है। शासन के विरूद्ध जनता में असन्तोष फैलाने के अपराध में गान्धी जी को छः वर्ष की साधारण कारावास की सजा दी गयी। चौरी–चौरा कांड के अन्य अभियुक्तों का मुकदमा पं0 मदन मोहन मालवीय ने लड़ा तथा अधिकांश को बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। इसका नेतृत्व महान स्वतंत्रता सेनानी महावीर यादव ने भी किया। उन्होने 151 लोगों को फांसी की सजा से बचा लिया। बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई 1923 के दौरान फांसी दे दी गयी। इस घटना में 14 लोगों का आजीवन कारावास और 100 लोगों को 08 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। गान्धी जी की गिरफ्तारी एवं सजा के साथ असहयोग आन्दोलन भी शिथिल पड़ गया किन्तु राष्ट्रियता की ज्योंती जलती रही। हॉ उसका क्षेत्र खुले जन आन्दोलन से हटकर विधान मंडल के सदनों में आ गया।

इतिहासकार कूपलैंड के अनुसार गॉधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बदल दिया। उन्होने वह कार्य कर दिखाया जो तिलक भी नही कर सके थे। उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को क्रांतिकारी बनाया। सवतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया सरकार के उपर संवैधनिक दबाव डाला, वाद–विवाद और समझौते के द्वारा नहीं अपितु शक्ति के द्वारा हॉ शक्ति भले ही वह शक्ति अहिंसात्मक हो। उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को क्रान्तिकारी ही नहीं बल्की जन आन्दोलन एवं एक लाकप्रिय आन्दोलन बना दिया था। अभी तक जो आन्दोलन नगर के बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित था अ बवह देहातों की आम जनता तक पहुॅच गया और जागृति पैदा करने लगा।

Copyright © 2016 Dr. Bindu. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.